

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर०५०५०

दिनांक - 23/2025

अन्वयान :-

1. राजेश पुत्र देबुराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा।

:- प्रार्थी

बनाम

1. सतवीर पुत्र देबुराम जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा।
2. कृष्ण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा।
3. सुनील कुमार पुत्र सतवीर सिंह जाति जाट साकिन निनाण तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट संप्रति
धारा 8(2) राज० कॉल० एक्ट

उपरिष्ठाति :- श्री मुन्शीराम गोरवाणी प्रार्थी
श्री अमित देहडु अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 03.09.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही गौजा चक चक 8 जेजीडब्लु के खाता सं० 192/177 के मु० नं० 47 के किला नं० 24/2 की 0.0120 हैक्टियर नहरी, किला नं० 24/3 की 0.006 हैक्टियर रास्ता, मु० नं० 63 के किला नं० 3 की 0.253 हैक्टियर किला नं० 4/1 की 0.240 हैक्टियर नहरी, किला नं० 4/2 की 0.013 हैक्टियर रास्ता, किला नं० 7/1 की 0.228 हैक्टियर नहरी, किला नं० 7/2 की 0.025 हैक्टियर रास्ता किला नं० 8/1 की 0.240 हैक्टियर नहरी, किला नं० 8/2 की 0.013 हैक्टियर रास्ता, किला नं० 13 की 0.127 हैक्टियर नहरी व किला नं० 14 की 0.253 हैक्टियर नहरी, मु० नं० 91 के किला नं० 14 की 0.253 हैक्टियर बारानी, किला नं० 15/1 की 0.228 हैक्टियर बारानी, किला नं० 15/2 की 0.025 हैक्टियर रास्ता, किला नं० 17 व 24 प्रत्येक की 0.253 हैक्टियर बारानी, किला नं० 25/1 की 0.228 हैक्टियर बारानी किला नं० 25/2 की 0.025 हैक्टियर रास्ता कुल किला 20 की 3.036 हैक्टियर बारानी नहरी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबन्दी सलंगन दावा है।

वादी की खातेदारी के पास में ही चक 8 जेजीडब्लु के खाता सं० 262/240 के मु० नं० 47 के किला नं० 16/1 की 0.215 हैक्टियर नहरी, किला नं० 16/2 की 0.038 हैक्टियर रास्ता, किला नं० 17, 18, 20, 21, 23 प्रत्येक की 0.253 हैक्टियर नहरी, किला नं० 24/1 की उत्तरी तरफ की 0.121 हैक्टियर नहरी किला नं० 24/4 की 0.006 हैक्टियर रास्ता, मु० नं० 48 के किला नं० 20/1 की 0.240 हैक्टियर नहरी, किला नं० 20/2 की 0.013 हैक्टियर रास्ता, किला नं० 21/1 की 0.241 हैक्टियर नहरी, किला नं० 21/2 की 0.012 हैक्टियर रास्ता, मु० नं० 62 के किला नं० 1/1 की 0.228 हैक्टियर नहरी, किला नं० 1/2 की 0.025 हैक्टियर खाला, मु० नं० 63 के किला नं० 1, 10, 11 प्रत्येक की 0.253 हैक्टियर नहरी कुल किला 18 की 3.163 हैक्टियर नहरी मय रास्ता खातेदारी की खातेदारी प्रतिवादी सतवीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 8 जेजीडब्लु के ही खाता सं० 273/192 के मु० नं० 47 के किला नं० 19 व 22 प्रत्येक की 0.253 हैक्टियर नहरी, मु० नं० 63 के किला नं० 2 की 0.253 हैक्टियर नहरी, किला नं० 9/1 की 0.240 हैक्टियर नहरी, किला नं० 9/2 की 0.013 हैक्टियर, किला नं० 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 हैक्टियर नहरी, मु० नं० 91 के किला नं० 1/1 की 0.240 हैक्टियर बारानी किला नं० 1/2 की 0.013 हैक्टियर रास्ता किला नं० 2 की 0.253 हैक्टियर बारानी कुल किला 13 की 2.783

वहस वकील वाराणी गय रास्ता की खातेदारी में प्रतिवादी कृष्ण के नाम से 9/11 डिब्बा, तादी सुनीलकुमार के नाम से 2/11 डिब्बा खातेदारी दर्ज है। दादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 की 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा दादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 की तादी का पहले एक ही खेत हुआ करता था तथा बंटवारा करवाने समय चक 8 जेजीडब्ल्यू के मु० नं० 47 के किला नं० 24 में पूर्वी तरफ आधा किला लम्बाई में से हात हुये ता नं० 24 में ही बीचों बीच पश्चिमी तरफ एक किला लम्बाई में व किला नं० 23 में ही बीचों बीच एक किला लम्बाई में व किला नं० 23 में पश्चिमी तरफ आधा किला लम्बाई में तादी तरफ होते हुये मु० नं० 63 के किला नं० 3 व 8 में पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण लिये एक एक मट्टा चोडा रास्ता छोड दिया था तथा इसी रास्ता से दादी एवं प्रतिवादीगण आवागमन करते आ रहे है।

तादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 की खातेदारी के मु० नं० 47 के किला नं० 24/3 में आधा किला लम्बाई में दक्षिणी भाग में से 0.006 हैक्टेयर रास्ता व मु० नं० 63 के किला नं० 4/2 में 0.013 हैक्टेयर, किला नं० 7/2 में पूर्वी व दक्षिणी तरफ में 0.025 हैक्टेयर व किला नं० 8/2 में दक्षिणी तरफ में 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 9/2 में दक्षिणी तरफ की 0.013 हैक्टेयर रास्ता को कलमजन किया जाकर उक्त रास्ता के रूप में दर्ज भूमि सम्बन्धित खातों की खातेदारी भूमि होने की घोषणा की जाकर उक्त रास्ता के स्थान पर मु० नं० 47 के किला नं० 24/1 में बीचों बीच पूर्व से पश्चिम के लिये 0.013 हैक्टेयर, किला नं० 23 में भी बीचों बीच पूर्व से पश्चिम के लिये 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 23 में ही पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिणी के लिये 0.006 हैक्टेयर व मु० नं० 63 के किला नं० 3 में पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण के लिये 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 8 में भी पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण के लिये 0.013 हैक्टेयर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने की कानूनी अधिकारी है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं० 1 ता 3 ने आपत्ती सहनाति से राजीनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

वहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। मुताविक राजीनामा के चक 8 जेजीडब्ल्यू के मु० नं० 47 के किला नं० 24/3 में आधा किला लम्बाई में दक्षिणी भाग में से 0.006 हैक्टेयर रास्ता व मु० नं० 63 के किला नं० 4/2 में 0.013 हैक्टेयर, किला नं० 7/2 में पूर्वी व दक्षिणी तरफ में 0.025 हैक्टेयर व किला नं० 8/2 में दक्षिणी तरफ में 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 9/2 में दक्षिणी तरफ की 0.013 हैक्टेयर रास्ता को कलमजन किया जाकर उक्त रास्ता के रूप में दर्ज भूमि सम्बन्धित खातों की खातेदारी भूमि होने की घोषणा की जाकर उक्त रास्ता के स्थान पर चक 8 जेजीडब्ल्यू मु० नं० 47 के किला नं० 24/1 में बीचों बीच पूर्व से पश्चिम के लिये 0.013 हैक्टेयर, किला नं० 23 में भी बीचों बीच पूर्व से पश्चिम के लिये 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 23 में ही पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिणी के लिये 0.006 हैक्टेयर व मु० नं० 63 के किला नं० 3 में पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण के लिये 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 8 में भी पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण के लिये 0.013 हैक्टेयर रास्ता दर्ज करवाने के लिए सहमत है। उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी में आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पडता है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजीनामा में प्रार्थी चक 8 जेजीडब्ल्यू के मु० नं० 47 के किला नं० 24/3 में आधा किला लम्बाई में दक्षिणी भाग में से 0.006 हैक्टेयर रास्ता व मु० नं० 63 के किला नं० 4/2 में 0.013 हैक्टेयर, किला नं० 7/2 में पूर्वी व दक्षिणी तरफ में 0.025 हैक्टेयर व किला नं० 8/2 में दक्षिणी तरफ में 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 9/2 में दक्षिणी तरफ की 0.013 हैक्टेयर रास्ता को कलमजन किया जाकर उक्त रास्ता के रूप में दर्ज भूमि सम्बन्धित खातों की खातेदारी भूमि होने की घोषणा की जाकर उक्त रास्ता के स्थान पर चक 8 जेजीडब्ल्यू मु० नं० 47 के किला नं० 24/1

भी बीच पूर्व से पश्चिम के लिये 0.013 हैक्टेयर, किला नं० 23 मे भी बीचों बीच पूर्व से
के लिये 0.006 हैक्टेयर व मु० नं० 63 के किला नं० 3 मे पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिणी के
0.013 हैक्टेयर व किला नं० 8 मे भी पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण के लिये 0.013
रास्ता हेतु सहमत है व रास्ता की भूमि के एवज में कलमजन किये गए रास्ता
खातेदार के खातेदारी दर्ज कराने हेतु सहमत एवं तैयार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र
मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार मुताबिक
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही
चक चक 8 जेजीडब्ल्यू के मु० नं० 47 के किला नं० 24/3 मे आधा किला लम्बाई मे
भाग मे से 0.006 हैक्टेयर रास्ता व मु० नं० 63 के किला नं० 4/2 में 0.013
किला नं० 7/2 मे पूर्वी व दक्षिणी तरफ मे 0.025 हैक्टेयर व किला नं० 8/2 में
तरफ में 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 9/2 मे दक्षिणी तरफ की 0.013 हैक्टेयर
को कलमजन किया जाकर उक्त रास्ता के रूप मे दर्ज भूमि सम्बन्धित खातों की
भूमि होने की घोषणा की जाकर उक्त रास्ता के स्थान पर चक 8 जेजीडब्ल्यू मु०
के किला नं० 24/1 मे बीचों बीच पूर्व से पश्चिम के लिये 0.013 हैक्टेयर, किला
मे भी बीचों बीच पूर्व से पश्चिम के लिये 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 23 मे ही
तरफ उत्तर से दक्षिणी के लिये 0.006 हैक्टेयर व मु० नं० 63 के किला नं० 3 मे
तरफ उत्तर से दक्षिण के लिये 0.013 हैक्टेयर व किला नं० 8 मे भी पश्चिमी तरफ
से दक्षिण के लिये 0.013 हैक्टेयर रास्ता हेतु स्वीकृत किया जाता राजस्व रिकॉर्ड में
अनुसार अमलदरामद किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
पा गया।



(कल्पित शिबिरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भदरा जिला हनुमानगढ़
भदरा (जिला-हनुमानगढ़)